रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2009/चैत्र 11, 1931

No. 197] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2009/CHAITRA 11, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 229(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 के उप-खण्ड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय-I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 है ।

(2) (क) इन नियमों के नियम 1 से 31, नियम 34 से 37 और नियम 41, 1 अप्रैल, 2009 से प्रवृत्त होंगे ।

(ख) इन नियमों के नियम 32 और 33 और नियम 38 से 40, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) "अधिनियम" से अभिप्रेत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) है;

(ii) "उपाबंध" से इन नियमों का उपाबंध अभिप्रेत है;

(iii) "प्रमाणित करने वाला प्राधिकारी" से अभिप्रेत वह व्यक्ति है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000 का 21) की धारा 24 के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति अनुदत की गई है ;

(iv) "अभिहित भागीदार पहचान संख्या" (डीपीआईएन) से अभिप्रेत एक ऐसी पहचान संख्या से है जिसे केन्द्रीय सरकार, सीमित् दायित्व भागीदार के पहचान के प्रयोजनार्थ अभिहित भागीदार नियुक्त किए जाने वाले किसी व्यक्ति अथवा किसी निगमित निकाय के नामनिर्देशिती को आबंटित कर सकती है ।

(v) "डिजीटल हस्ताक्षर" से अभिप्रेत इलेक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार प्रक्रिया के अंशदाताद्वारा किसी इलेक्ट्रानिक रिकार्ड का अधिप्रमाणीकरण करना है ;

(vi) "डिजिटल हस्ताक्ष्र प्रमाण पत्र" से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन जारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र है ;

(vii) "इलेक्ट्रानिक रिकार्ड" से अभिप्रेत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 के खंड (न) के अधीन परिभाषित इलेक्ट्रानिक रिकार्ड है ;

(viii) "इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री" से अभिप्रेत एक इलेक्ट्रानिक आधान अथवा भंडारण प्रणाली है जिसमें सूचना अथवा दस्तावेज प्राप्त, भण्डारण संरक्षित और इलेक्ट्रानिक प्ररूप में परिरक्षित किए जाते हैं ;

(ix) "इलेक्ट्रानिक मेल (ई–मेल)" से अभिप्रेत कम्प्यूटर आधारित संचार तंत्र के माध्यम से संदेश डिजीटल प्ररूप में भेजे, प्राप्त अथवा अग्रेसित किए जाते हैं ;

(x) 'अधिकारी' में कोई भागीदार, अभिहित भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी का कोई कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति जिसके निदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार कार्रवाई करने के लिए अभ्यस्त हैं और किसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी तथा ऐसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की ओर से सेवाओं को लेने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति सम्मिलित है;

(xi) "प्री–फिल" से अभिप्रेत इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री में अनुरक्षित डाटाबेस में से कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा डाटा इनपुट की आटोमेटेड प्रक्रिया है ;

(xii) "अनंतिम अभिहित भागीदार पहचान संख्या" कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित इलेक्ट्रानिक प्रणाली द्वारा तैयार की गयी अनंतिम पहचान संख्या है ;

(xiii) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ध) के अधीन परिभाषित रजिस्ट्रार है ;

(xiv) "रजिस्ट्रार का फ्रंट कार्यालय" से अभिप्रेत केन्द्रीय्र सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी द्वारा अनुरक्षित कार्यालय है ताकि दस्तावेजों की ई–फाइलिंग इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री सुकर बनाया जा सके और उनके निरीक्षण और समीक्षा की जा सके ;

(xv) "धारा" से अभिप्रेत अधिनियम की कोई धारा है ;

(xvi) "वेबसाइट" से अभिप्रेत इंटरनेट से जुड़ा कोई स्थान है जिसमें एक अथवा अधिक वेब पेज होते हैं ;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों का अभिप्रेत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000 का 21) में उन्हें क्रमशः दिए गए अभिप्रेत से है।

3. प्ररूप

(1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए इन नियमों से उपाबंध प्ररूप का उपयोग करेगी ।

(2) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी उनमें अपनी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) को निर्दिष्ट करेगी ।

4. इलेक्ट्रानिक प्ररूपों का अधिप्रमाणीकरण

इलेक्ट्रानिक प्ररूप को, डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा अधिप्रमाणीकृत किया जाएगा जैसाकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अधीन परिभाषित किया गया है।

5. शुल्क

(1) अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अनुपालन में देय शुल्क और ये नियम उपाबंध 'अ' में उल्लेख किए अनुसार होंगे

(2) अधिनियम अथवा बनाए गए किसी नियम अथवा उसके अधीन जारी अधिसूचना के अनुपालन में देय शुल्क का भुगतान भारत के लोक लेखे में किया जाएगा ।

परंतु कि रजिस्ट्रार को देय शुल्क का भुगतान रजिस्ट्रार के कार्यालय वाले शहर अथवा नगर में स्थित बैंक अथवा पोस्ट आफिस में देय पोस्टल आर्डर (जिसमें दी गयी राशि 50 रू. से अधिक न हो) अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आहरित, यथास्थिति किया जा सकता है ।

परंतु यह और कि जहां रजिस्ट्रार को देय शुल्क का भुगतान, पूर्व में किए गए उल्लेख के अनुसार पोस्टल आर्डर अथवा चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा, पोस्टल आर्डर अथवा ड्राफ्ट की राशि नकद न मिल जाए और राशि जमा न हो जाए तब तक भुगतान कर दिया गया नहीं माना जाएगा।

परन्तु, यह भी है कि जहां आवेदन इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से किसी अन्य कम्प्यूटर पठनीय मीडिया के माध्यम से भरा जाता है, उपयोगकर्ता निम्नलिखित भुगतान विकल्प में से किसी का चयन कर सकता है, अर्थात (i) क्रेडिट कार्ड, अथवा (ii) इन्टरनेट बैंकिंग अथवा (iii) बैंक काउन्टर पर प्रेषण, अथवा (iv) केन्द्रीय्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य पद्धति।

6. दस्तावेजों, प्ररूपों, सूचनाओं, विवरण, रिटर्न आदि की फाइलिंग, रिकार्डिंग, अथवा रजिस्टरिंग का तरीका और शर्त इन नियमों के अध्याय XIII में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगी।

अध्याय–II
सीमित दायित्व भागीदारी का स्वरूप

7. धारा 7 की उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को **प्ररूप 9** में अपनी पूर्व अनुमति देनी होगी।

8. धारा 7 की उपधारा (4) के प्रयोजनार्थ, उस व्यक्ति के विवरण, जिसने अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी है, को उपाबंध 'अ' में उल्लिखित शुल्क के साथ प्ररूप **4** में भरे जाएंगे।

9(1) वह व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी का अभिहित भागीदार नियुक्ति किए जाने का दाव नहीं होगा, यदि वह –

(क) पिछले 5 वर्षों में किसी भी समय उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो ; अथवा

(ख) निलम्बित है, अथवा पिछले वर्षों में किसी भी समय अपने जमाकर्ता के भुगतान को निलम्बित किया हो और पिछले 5 वर्षों में किसी भी समय उनके साथ संयोजन नहीं किया है ; अथवा

(ग) नैतिक रूप से भ्रष्ट है अथवा इस अपराध में सम्मिलित होने पर किसी न्यायालय द्वारा उसे छः महीने से अधिक समय तक इस संबंध में सजा दी गयी है ; अथवा

(घ) किसी न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 30 में सम्मिलित होने वाले किसी अपराध के लिए सिद्ध दोषी किया गया है ।

(2) केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, या तो सामान्यतया अथवा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित उप नियम (1) के खंड (क) तथा खण्ड (ख) द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा की गयी निरर्हता को दूर कर सकती है।

अध्याय–III
अभिहित भागीदार पहचान संख्या

10(1) प्रत्येक व्यक्ति अथवा निगमित निकाय का कोई नामित, जो सीमित दायित्व भागीदार के अभिहित भागीदार के रूप में नियुक्त किए जाने का आशय रखता है, अभिहित भागीदार पहचान संख्या (डीपीआईएन) को प्राप्त करने के लिए **प्ररूप 7** में केन्द्रीय सरकार को इलेक्ट्रानिक तौर पर आवेदन करेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट के पोर्टल के माध्यम से डीपीआईएन के आबंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रानिक प्रणाली को सुकर बनाना ।

(3) आवेदक पोर्टल से **प्ररूप 7** से प्राप्त करेगा, उसमें अपेक्षित सभी विवरणों को भरेगा और उसमें दिए गए 'सबमिट' का प्रयोग करेगा, जिसके पश्चात सिस्टम अनंतिम डीपीआईएन निर्धारित स्थान पर तैयार करेगा और दर्शाएगा।

(4) आवेदक द्वारा उप नियम (3) के अधीन आनलाइन बनायी गयी अनंतिम अभिहित भागीदार पहचान संख्या, इसे बनाए जाने की तारीख से 60 दिनों तक वैध रहेगा।

(5) (i) अनंतिम डीपीआईएन आबंटन के पश्चात, आवेदक, अनंतिम डीपीआईएन बनाए जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर नियमित अभिहित भागीदार पहचान संख्या के आबंटन के लिए उपाबंध–'अ' में निर्धारित शुल्क के साथ केन्द्रीय सरकार को औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर अनंतिम डीपीआईएन समाप्त हो जाएगा ;

(ii) उप नियम (i) के अधीन आवेदन करने के लिए आवेदक **प्ररूप. 7** का प्रिन्ट निकालेगा और उस प्ररूप में निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ चिपकाएगा, पहचान की सत्य प्रतियां और आवास का प्रमाण पत्र संलग्न करेगा तथा उसमें विनिर्दिष्ट स्थान पर स्वयं हस्ताक्षर करेगा। फोटोग्राफ, पहचान तथा आवास प्रमाण पत्र निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा :

(क) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी ;

(ख) नोटरी पब्लिक ;

(ग) चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949, लागत एवं सकर्म अकाउंण्टेंट अधिनियम, 1959 तथा कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अधीन क्रमशः चार्टर्ड अकाउन्टेंट, लागत अकाउंटेंट अथवा कंपनी सचिव के कार्य प्रमाण पत्र धारक । कंपनी सचिव, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लागत एवं निर्माण एकाउन्टेन्ट।

(6) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (5) के अधीन डीपीआईएन के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करेगी, ऐसे आवेदन पर विनिश्चय करेगी और ऐसे आवेदन के प्राप्त होने के एक मास की अवधि के भीतर, अनुमोदन अथवा अस्वीकार के मामले में आबंटित डीपीआईएन के साथ डाक पत्र अथवा इलेक्ट्रानिक अथवा किसी अन्य पद्धति से सूचित करेगी ;

(7) इस प्रकार आबंटित अभिहित भागीदार पहचान संख्या उस आवेदक के जीवनभर वैध होती है और उसे किसी भी मामले में किसी अन्य व्यक्ति को आबंटित नहीं की जाएगी ।

(8) प्रत्येक अभिहित भागीदार, अभिहित भागीदार बनने के लिए अपनी स्वीकृति की सूचना सीमित दायित्व भागीदारी को और डीपीआईएन को **प्ररूप 9** में देगा और एलएलपी ऐसी अभिहित भागीदार पहचान संख्या की सूचना **प्ररूप 26** में रजिस्ट्रार को देगी ।

(9) (क)(i) उप नियम (5) के अधीन प्ररूप 7 में उल्लिखित विवरण में कोई परिवर्तन होने पर प्रत्येक अभिहित भागीदार, जिसे इन नियमों के अधीन अभिहित भागीदार पहचान संख्या आबंटित की गयी है, **प्ररूप 10** का प्रयोग करके विवरणों में परिवर्तन(नों) के 30 दिनों की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को ऐसे परिवर्तन(नों) की सूचना देगा।

(ii) संबंधित अभिहित भागीदार ऐसे परिवर्तन की सूचना 30 दिनों के भीतर उन सीमित दायित्व भागीदारी अथवा सीमित दायित्व भागीदार(रों) को देगा जिनका वह अभिहित भागीदार है।

(ख) अभिहित भागीदार निर्धारित **प्ररूप 10** में संगत परिवर्तन भरेगा, उप नियम 5 के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट तरीके से विधिवत प्रमाणित परिवर्तित विवरणों के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करेगा, विनिर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर करेगा और उक्त को केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा । विवरणों में परिवर्तन की सूचना देने का कोई शुल्क नहीं होगा।

(10) केन्द्रीय सरकार, समाधान हो जाने पर, संलग्न प्रमाण पत्रों से परिवर्तित विवरणों की संलग्न प्रति के सत्यापन के माध्यम से, उक्त परिवर्तनों को सम्मिलित कर लेगी और डाक द्वारा जारी पत्र अथवा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए इलेक्ट्रानिक डाटाबेस में ऐसे परिवर्तन के प्रभावी होने की पुष्टि करते हुए इलेक्ट्रानिक्ली अथवा अन्य किसी तरीके से अभिहित भागीदार को सूचित करेगी।

अध्याय–IV
सीमित दायित्व भागीदारी का निगमन

11 धारा 11 के प्रयोजनों के लिए अधिनिगमन दस्तावेज को **प्ररूप 2** में सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय वाले राज्य पर क्षेत्राधिकार रखने वाले रजिस्ट्रार के पास उपाबंध–'अ' में निर्धारित शुल्क के साथ जमा किया जाएगा ।

12 हेग एपोस्टिल समझौता, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता देशों में भारत से बाहर रहने वाली विदेशी नागरिकों के मामले में जो भारत में किसी एलएलपी को रजिस्ट्रीकृत कराने के इच्छुक है, निगमन दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर तथा पते और उनकी पहचान के प्रमाण को, जहॅं–कहीं आवश्यक हो, उनके मूल देश में नोटरी द्वारा प्रमाणित किया गया हो और उन पर हेग समझौते के अनुसार उचित टिप्पणी की गई हो ।

13. धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निगमन दस्तावेज के साथ दिया जाने वाला विवरण भाग आ में रूप विधान उपबंधित **प्ररूप 2** में होगा।

14. (1) रजिस्ट्रार के कार्यालय में एलएलपी का एक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसमें एलएलपी के नाम उनके रजिस्ट्रीकरण के कम में दर्ज होंगे ।

(2) इस प्रकार रजिस्ट्रीकरण प्रत्येक एलएलपी को एक सतत श्रृंखला में एक एलएलपी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) दी जाएगी ।

15. (1) सीमित दायित्व भागीदारी अथवा भागीदार अथवा तत्संबंधी भागीदार संबंधी दस्तावेज निम्नलिखित अन्य पद्धतियों के माध्यम से दिया जा सकता है –

(i) इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिशन ;

(ii) कोरियर

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,

(i) "इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिशन' से अभिप्रेत उस संचार से है जिसे –

(क) निम्नलिखित द्वारा पहुंचाया जाए –

(अ) जब इलेक्ट्रानिक मेल पता की अनुलिपि संख्या के लिए निदेश दिया जाता है तो क्रमशः अनुलिपि दूर–संचार अथवा इलेक्ट्रानिक मेल, जिसे भागीदारी अथवा भागीदार अथवा अभिहित भागीदार ने क्रमशः भागीदारी, अथवा भागीदार अथवा अभिहित भागीदार को सूचना भेजने के लिए समय–समय पर उपबंधित किया जाएगा;

(आ) इलेक्ट्रानिक मैसेज बोर्ड अथवा नेटवर्क पर पोस्ट करना जिसे भागीदारी अथवा भागीदार अथवा अभिहित भागीदार ने उन संचारों के लिए अभिहित किया है और इस ट्रांसमिशन को पोस्टिंग पर वैध रूप से वितरित किया जाएगा, अथवा

(इ) इलेक्ट्रानिक संचार के अन्य साधन

जिसे एलएलपी अथवा भागीदार अथवा अभिहित भागीदार ने यह सत्यापित करने के लिए युक्तियुक्त उपाय बताया है कि प्रेषक ट्रांसमिशन भेजने का दावा करने वाला व्यक्ति है, और

(ख) जो ऐसा रिकार्ड रखता हो जिसे पुंनः देखा जा सके, जिसे पुनः प्राप्त तथा जिसकी समीक्षा की जा सके और जिसे बाद में स्पष्ट पठनीय मूर्त स्वरूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ii) कोरियर से अभिप्रेत कोरियर के माध्यम से भेजा गया दस्तावेज है जो वितरण का प्रमाण उपबंधित करता है।

16(1) एक सीमित दायित्व भागीदारी कंपनियों के रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र के भीतर, जहां रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, दस्तावेज को पहुंचाने के लिए पता देना चाहिए । इस पते में पोस्टल कोड और ई–मेल पता होना चाहिए ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते के अलावा, सीमित दायित्व भागीदारी करार में दिए गए तरीके से धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन दस्तावेजों को पहुंचाने के लिए अपने पते के रूप में कोई अन्य पता दे सकती है। जहां इस मामले पर सीमित दायित्व भागीदारी करार में कोई प्रावधान नहीं होता है तो दस्तावेजो को पहुंचाने के लिए पते के रूप में कोई अन्य पता देने के लिए सभी भागीदारों की सहमति अपेक्षित होगी ।

(3) एलएलपी को दस्तावेजों की सेवा के लिए अन्य पते की सूचना, उपाबंध–'अ' में उल्लिखित शुल्क के साथ उपर्युक्त उपनियम (2) की अपेक्षाओं का पालन करने के 30 दिन के भीतर **प्ररूप 12** में, रजिस्ट्रार को दी जाएगी।

(4) एलएलपी द्वारा दिए गए अन्य पते पर एलएलपी को दस्तावेजों की सेवा के लिए प्रभावी तारीख उपनियम (3) के अधीन दस्तावेजों को फाइल करने की तारीख से पहले नहीं हो सकती है।

17(1) सीमित दायित्व भागीदारी, सीमित दायित्व भागीदारी करार में यथा अधिकथित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने रजिस्ट्रीकृत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित कर सकता है। जहां इस मामले पर सीमित दायित्व भागीदारी करार में कोई उपबंध नहीं होता है, वहां पर सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का स्थान किसी अन्य स्थान पर परिवर्तित करने के लिए सभी भागीदारों की अनुमति होगी।

परंतु जहाँ रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान का परिवर्तन एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाना है, वहाँ पर प्रतिभूत लेनदारों वाली सीमित दायित्व भागीदारी को ऐसे सभी प्रतिभूत लेनदारों की सहमति भी प्राप्त करनी होगी ।

(2) धारा 13 की उप धारा (3) के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान के परिवर्तन की सूचना उपाबंध–'अ' में उल्लिखित शुल्क के साथ **प्ररूप 15** में रजिस्ट्रार को समान राज्य के भीतर रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में परिवर्तन के मामले में उप–नियम (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए 30 दिनों के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय मे परिवर्तन के मामले में उप–नियम (4) का अनुपालन करते हुए 30 दिनों के भीतर दी जाएगी।

(3) जहां सीमित दायित्व भागीदारी के विरूद्ध कोई दोषसिद्धि, नियम, किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा अन्य प्राधिकारी का आदेश अथवा निर्णय होता है तो उसके विरूद्ध आरंभ की गयी ऐसी अभियोजनों का विवरण अथवा एलएलपी अधिनियम के अधीन कथित अपराध के लिए सीमित दायित्व भागीदारी को प्राप्त करण बताओ नोटिस का उल्लेख रजिस्ट्रार को दिए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान के परिवर्तन की सूचना में किया जाएगा।

(4) जहां रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है तो सीमित दायित्व भागीदार, रजिस्ट्रार के पास कोई सूचना फाइल करने से पहले 21 दिन से अनधिक समय में अंग्रेजी में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र में और जिस जिले में सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, उसकी प्रमुख भाषा में कम से कम एक बार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा और उसे जिले में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के परिवर्तन की सूचना देते हुए परिचालित करेगा।

(5) जहां रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान का परिवर्तन राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक रजिस्ट्रार के अधिकारिता से दूसरे रजिस्ट्रार के अधिकारिता में अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है तो सीमित दायित्व भागीदार, जहां से अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है, वहां के रजिस्ट्रार को **प्ररूप 15** में सूचना देगा और इस सूचना की प्रति उस रजिस्ट्रार को देगा जिसके अधिकारिता में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है।

18(1) सीमित दायित्व भागीदारी का नाम संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के अधीन निषिद्ध एक नहीं होगा।

(2) किसी नाम को सामान्यतया आरक्षित नहीं किया जाएगा, यदि उसमें –

(i) यदि इसमें कोई एक शब्द अथवा कई शब्द सम्मिलित हैं जो जनता के किसी वर्ग के लिए अपमानजनक हो;ख

(ii) यदि प्रस्तावित नाम किसी विद्यमान सीमित दायित्व भागीदारी के यथा स्थिति अंग्रेजी अथवा हिंदी के नाम का ठीक अंग्रेजी अथवा हिंदी अनुवाद हो ;

(iii) यदि प्रस्तावित नाम का, विद्यमान एलएलपी के नाम की ध्वनि के साथ निकट समानता हो, उदाहरणतया, जे.के. एलएलपी, जेए केय (jay kay) एलएलपी;

(iv) यदि इसमें देश की क्षेत्रीय भाषा में, को–आपरेटिव, सहकारी अथवा को–आपरेटिव शब्द का समतुल्य शब्द सम्मिलित हो ;

(v) यदि परिस्थितियां ऐसी न हो, केन्द्रीय अथवा राज्य की भागीदारी अथवा आश्रय का संकेत देता है तो कोई नाम कतिपय संदर्भ में अवांछित माना जाएगा यदि इसमें नेशनल, यूनियन, सेन्ट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसीडेंट, राष्ट्रपति आदि जैसे शब्द सम्मिलित हों।

(vi) यदि प्रस्तावित नाम में 'ब्रिटिश भारत' शब्द अन्तर्विष्ट हो;।

(vii) यदि प्रस्तावित नाम में किसी दूतावास अथवा वाणिज्य दूतावास अथवा किसी विदेशी सरकार के साथ सहयोजन अथवा संबंध हो, जो नगर पालिका, पंचायत, जिला परिषद अथवा संघ अथवा राज्य सरकार से सम्बद्ध किसी अन्य निकाय जैसे स्थानीय प्राधिकरणों के साथ संबंध देने का सुझाव देता हो;

(viii) यदि प्रस्तावित नाम डी.आई.एम.ओ. सीमित दायित्व भागीदारी, अथवा आई.वी.एन.आर. सीमित दायित्व भागीदारी अथवा एस.एस.आर.पी. सीमित दायित्व भागीदारी की भांति अस्पष्ट हो;

(ix) यदि सीमित दायित्व भागीदारी शब्द से पहले कोष्ठक के भीतर स्थान के नाम की सीमा तक विद्यमान सीमित दायित्व भागीदारी के नाम से भिन्न हो, उदाहरणतया, इंडियन प्रेस सीमित दायित्व भागीदारी नामक एलएलपी की विद्यमानता की दृष्टि से इंडियन प्रेस (दिल्ली) सीमित दायित्व भागीदारी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए;

(x) यदि इसमें ट्रेक मार्क के स्वामी की अनुमति प्रस्तुत किए जाने तक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड मार्क का नाम सम्मिलित किया हो;

(xi) यदि प्रस्तावित नाम भारत के बाहर सम्मिलित फर्म अथवा एलएलपी के समतुल्य अथवा लगभग समान हो और इन नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार के पास ऐसी फर्म, एलएलपी अथवा कंपनी द्वारा आरक्षित हो;

(xii) यदि किसी सीमित दायित्व भागीदारी अथवा परिसमापन में होने वाली कंपनी के नाम के समतुल्य अथवा लगभग समान हो अथवा यह किसी ऐसी एलएलपी अथवा कंपनी के नाम के समान या लगभग समतुल्य हो जिसे समाप्त किए हुए अभी 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं;

(xiii) यदि इसमें विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना 'बैंक', 'बीमा' और 'बैंकिंग', "जोखिम पूंजी" अथवा 'म्युचुअल फंड' या समान नाम सम्मिलित हों;

(xiv) यदि इसके कार्यकलापों की प्रकृति अथवा पैमाने के संबंध में भ्रमित करने वाले प्रभाव का आशियत अथवा संभावना हो जो इसके निपटारे के संसाधनों से परे होगा;

(xv) यदि प्रस्तावित नाम में भागीदारियों के समाधान होने तक कि उस विशिष्ट देश अथवा स्थान का विदेशियों के साथ कोई सहयोग अथवा संबंध है जिसका नाम उस नाम में शामिल है, फ्रेंच, ब्रिटिश, जर्मन आदि जैसे शब्द सम्मिलित हो;

(xvi) यदि सीमित दायित्व भागीदारी के प्रस्तावित नाम में कंपनी सचिव चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एडवोकेट अथवा प्रस्तावित नाम के भाग के रूप में व्यवसाय के समरूप ऐसे सामान शब्द सम्मिलित हो तो उसकी अनुमति ऐसे व्यवसाय की शासित परिषद अथवा सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही दी जाएगी।

(3) एक विदेश एलएलपी अथवा कोई विदेशी कंपनी उपाबंध–'अ' उल्लिखित शुल्क का भुगतान करके **प्ररूप 25** में अपना विद्यमान आरक्षित करने के लिए उस रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है जिसके द्वारा इसे विनियमन अथवा निगमन के लिए देश में रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

परन्तु ऐसा आरक्षण 3 वर्षों के लिए वैध होगा किन्तु उपाबंध–'अ' में उपबंधति शुल्क के भुगतान के साथ नया आवेदन करके इसे नवीकृत किया जा सकता है।

(4) नाम के आरक्षण के लिए आवेदन, जिसके द्वारा प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी का नाम रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अथवा परिवर्तित किया जाना है, यथास्थिति को सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर अधिकारिता रखने वाले रजिस्ट्रार को किया जाएगा ।

(5) ऐसा प्रत्येक आवेदन **प्ररूप 1** में होगा और इसके साथ उपाबंध–'अ' में उल्लिखित शुल्क दिया जाएगा और रजिस्ट्रार आवेदन प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर सामान्यता रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली प्रस्तावित एलएलपी अथवा परिवर्तित नाम के आरक्षण अथवा अनारक्षण की सूचना एलएलपी को देगा।

(6) जहां रजिस्ट्रार एलएलपी को, एलएलपी रजिस्ट्रीकृत किए जाने अथवा नाम परिवर्तित किए जाने के आरक्षण के बारे में सूचना देता है, यथास्थिति ऐसा नाम रजिस्ट्रार द्वारा सूचना दिए जाने की तारीख से 3 महीने की अवधि तक आरक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

19 (1) एक सीमित दायित्व भागीदारी अथवा कारपोरेट निकाय अथवा कोई अन्य कंपनी का पहले से कोई नाम है जो सम्मिलित सीमित दायित्व भागीदारी के नाम समान अथवा लगभग सामान हो, अपने नाम के परिवर्तन के लिए सीमित दायित्व भागीदारी को निदेश देने के लिए **प्ररूप 23** में आवेदन कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन में निम्नलिखित उल्लेख होगा –

(i) सीमित दायित्व भागीदारी का एलएलपीआईएन अथवा कंपनी का सीआईएन अथवा यथास्थिति अन्य कंपनी का रजिस्ट्रीकरण ;

(ii) जिसके साथ सीमित दायित्व भागीदारी अथवा कंपनी अथवा कोई अन्य कंपनी निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत की गयी हो उसका नाम ;

(iii) पश्चातवर्ती निगमित की गयी सीमित दायित्व भागीदारी के नाम की आपत्ति का आधार।

(3) आवेदन को आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(4) आवेदन करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित संलग्न करेगा ;

(क) प्राधिकरण जिसके अधीन वह ऐसा आवेदन कर रहा है ;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी अथवा कंपनी अथवा कंपनी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र,यथास्थिति निगमन प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि।

(5) आवेदन के साथ उपाबंध–'अ' में उल्लिखित शुल्क देय होगी।

20 (1) सीमित दायित्व भागीदारी अपने करार में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना नाम परिवर्तित कर सकता है । जहां सीमित दायित्व भागीदारी करार में इस मामले पर कोई उपबन्ध नहीं होता है वहां सीमित दायित्व भागीदारी का नाम परिवर्तित करने के लिए सभी भागीदारों की सहमति की आवश्यकता होगी।

(2) नाम के परिवर्तन की सूचना उपाबंध–'अ' में उल्लिखित शुल्क के साथ **प्ररूप 5** में 30 दिनों के भीतर उप–नियम (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए रजिस्ट्रार को दी जाएगी।

(3) रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाने पर कि परिवर्तित नाम उसके द्वारा आरक्षित नाम है, नए नाम से नया निगमन प्रमाण पत्र जारी करेगा और ऐसे प्रमाण पत्र जारी की तारीख के पश्चात परिवर्तित नाम लागू होगा।

अध्याय–V
भागीदार और उनके संबंध

21 (1) धारा 23 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी करार होने के संबंध में सूचना को उसके निगमन की तारीख से 30 दिन के भीतर उपाबंध 'अ' में यथा उपबंधित शुल्क के साथ रजिस्ट्रार के पास प्ररूप **3** में सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा;

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी करार में होने वाले किसी भी परिवर्तन को उपाबंध 'अ' में यथा उपबंधित शुल्क के साथ ऐसे परिवर्तन की 30 दिन के भीतर फर्म 3 में प्रस्तुत करेगा ।

(2) धारा 23 की उप–धारा (3) के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी उक्त उप–धारा में उल्लिखित सीमित दायित्व भागीदारी करार के संबंध में सूचना को सभी भागीदारों द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के सम्मुख प्ररूप 3 में उपाबंध 'अ' में यथा उपबंधित शुल्क के साथ प्रस्तुत करेगी ।

22(1) धारा 25 की उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए प्रत्येक भागीदार प्ररूप 6 में सीमित दायित्व भागीदारी को अपने नाम अथवा पते के परिवर्तन की सूचना देगा।

(2) धारा 25 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए, जहां कोई व्यक्ति भागीदार बन जाता है अथवा छोड़ देता है अथवा भागीदार के नाम अथवा पते में कोई परिवर्तन होता है तो सीमित दायित्व भागीदार **प्ररूप 4** में रजिस्ट्रार के पास एक सूचना देगा।

(3) धारा 25 की उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के भागीदार बनने संबंधी सूचना वाले **प्ररूप 4** में भागीदार बनने वाले व्यक्ति द्वारा उस कथन के साथ हस्ताक्षर किया जाएगा कि भागीदार बनने की अनुमति देता है।

(4) प्ररूप के साथ व्यवसाय चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा व्यवसाय लागत अकाउंटेंट अथवा व्यवसाय कंपनी सचिव द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया गया होना चाहिए कि सीमित दायित्व भागीदारी की बहियों और अभिलेखों सहित सभी विवरणों को उसने सत्यापित कर दिया है और उन्हें सत्य और ठीक पाया है।

(5) धारा 25 की उपधारा (3) के अनुपालन में रजिस्ट्रार को दी जाने वाली शुल्क का उल्लेख उपाबंध–अ में होगा।

अध्याय–VI
अभिदाय का रूप

23(1) प्रत्येक भागीदार के अभिदाय को लेखांकित होगा और अभिदाय और राशि की प्रकृति तथा राशि के साथ एलएलपी के लेखे में दर्शाया गया होना चाहिए ।

(2) सेवा के लिए करार अथवा संविदा द्वारा मूर्त चल अथवा अचल अथवा अमूर्त सम्पत्ति अथवा लाए गए अन्य लाभ अथवा अभिदाय के भागीदार की कीमत का निर्धारण, व्यवसाय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा व्यवसाय लागत एकाउन्टेन्ट अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए पैनल से अनुमोदित मूल्य निर्धारक द्वारा किया जाएगा।

अध्याय–VII
वित्तीय प्रकटीकरण

24(1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदार ऐसी लेखांकन बहियों को रखेगा जो सीमित दायित्व भागीदार के लेनदेनों को दर्शाने और स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है और वे –

(क) उस समय सीमित दायित्व भागीदार की वित्तीय स्थिति को उस समय युक्तियुक्त ढंग से स्पष्ट करते है, और

(ख) अभिहित भागीदारों को समर्थ बनाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन नियमों के अधीन तैयार किया गया लेखा और शोधन क्षमता का कोई विवरण सीमित दायत्वि भागीदारी अधिनियम की अपेक्षाओं का पालन करता है।

(2) लेखा बहियों में निम्नलिखित समाविष्ट होना चाहिए –
(क) सीमित दायित्व भागीदार को प्राप्त अथवा व्यय धन की समग्र राशियों के ब्यौरे और वे मामले जिनके संबंध में प्राप्ति और व्यय हुआ है,

(ख) सीमित दायित्व भागीदार की सम्पत्तियों और दायित्वों का अभिलेखन,

(ग) खरीदे गए सामानों की लागत, सूची, कार्य की प्रगति, समाप्त सामान और बेचे गए सामानों की लागत का विवरण; और

(घ) कोई अन्य ब्यौरा जो भागीदार तय करे ।

(3) लेखा बहियां, जिनको सीमित दायित्व भागीदारी को रखने की अपेक्षित होती है, उनके बनाए जाने की तारीख से आठ वर्षों तक उन्हें रखा जाएगा।

(4) धारा 34 की उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदार, **प्ररूप सं. 8** में रजिस्ट्रार के पास उस वित्त वर्ष के 6 महीनों की समाप्ति से 30 दिन के भीतर लेखा और शोधन क्षमता का विवरण प्रस्तुत करेगा जिससे लेखा और शोधन क्षमता संबंधित है।

(5) लेखा और शोधन क्षमता का विवरण प्रस्तुत करने के लिए धारा 34 की उपधारा (3) के अनुसरण में रजिस्ट्रार को दिया जाने वाला शुल्क उपाबंध–अ में उल्लेख किए गए अनुसार होगा।

(6) एक सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं तथा शोधन क्षमता के विवरण पर सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से उसके अभिहित भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

(7) किसी सीमित दायित्व भागीदारी के लेखे तथा शोधन क्षमता के विवरण को उसके प्रत्येक अभिहित भागीदार द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाना होता है, जब तक यह नहीं दर्शाता है कि उसके अपने अनुमोदित और हस्ताक्षरित किए जाने को रोकने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय किए है, तब तक उन्हें उनके द्वारा अनुमोदित माना जाएगा।

(8) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं की लेखा परीक्षा इन नियमों के अनुसार की जाएगी –

परन्तु, एक ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं लेखा परीक्षा से अलग रखा जाएगा, यदि उसका कारोबार किसी वित्त वर्ष में 40 लाख रूपए से अधिक नहीं होता है अथवा इसका अभिदाय 25 लाख रूपए से अधिक नहीं होता है।

परन्तु और यह है कि सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार ऐसी एलएलपी के लेखे को लेखा परीक्षा करवाने का निर्णय लेते हैं तो उसके लेखे को इन नियमों के अनुसार लेखा परीक्षा किया जाएगा;

परंतु यह भी है कि किसी एलएलपी के भागीदार उसके लेखे की लेखा परीक्षा नहीं करवाने का निर्णय लेते हैं तो ऐसी एलएलपी के लेखा तथा शोधन क्षमता विवरण में भागीदारों द्वारा इस आशय का विवरण होना चाहिए कि भागीदार लेखा बहियों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम तथा नियमों की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं और उसमें **प्ररूप 8** में विनिर्दिष्ट एक प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

(9) कोई व्यक्ति किसी सीमित दायित्व भागीदारी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता जब तक कि वह व्यवसाय चार्टड अकाउंटेंट न हों ।

(10) किसी सीमित दायित्व भागीदारी के लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षको को एलएलपी के लेखे की लेखा परीक्षा हेतु प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए ।

(11) अभिहित भागीदार लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं:–

(क) प्रथम वित्त वर्ष के लिए किसी भी समय किन्तु प्रथम वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले, अथवा

(ख) प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत से कम से कम 30 दिन पहले (पहले वित्त वर्ष को छोडकर),

(ग) लेखा परीक्षक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए, उस मामले सहित जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी का टर्न–ओवर अथवा अभिदाय उप–नियम (8) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक होता हो ; अथवा

(घ) किसी लेखा परीक्षक को हटाने से हुई रिक्ति को भरने के लिए।

(12) भागीदार लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं जहां पद नामित को उप नियम (11) के अधीन नियुक्ति करने का अधिकार था और नियुक्ति करने में असफल रहे हैं।

(13) किसी एलएलपी का एक लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षक अपनी नियुक्ति की शर्तों के अधीन और निम्नलिखित अवधि तक अपने कार्यभार को जारी रखेंगे –

(क) जब तक कि नए लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं हो जाते, अथवा
(ख) उन्हें पुनः नियुक्त नहीं कर दिया जाता ।

(14) जहां उप–नियम (11) के अधीन किसी लेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है तो उस समय से तत्काल पहले पदस्थापित किसी लेखा परीक्षक को उस समय पुनः नियुक्त माना जाता है, यदि –

(क) सीमित दायित्व भागीदारी करार में वास्तविक पुनः नियुक्ति अपेक्षित नहीं है, अथवा

(ख) बहु संख्यक भागीदारों ने यह निर्णय लिया है कि उनकी पुनः नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए और एलएलपी को इस आशय का एक सूचना दिया है ।

(15) लेखा परीक्षकों को हटाने अथवा त्याग पत्र के संबंध में इस अध्याय के अधीन उप नियम (14) के उपबंध इस नियम के उपबंधों के प्रतिकूल के बिना लागू होंगे ।

(16) उप नियम 14 के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना –
(क) हार्ड कापी अथवा इलेक्ट्रानिक प्ररूप में हो सकता है,
ख
(ख) इसे देने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा आवश्यक अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए ।

(17) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक की परिलब्धि अभिहित भागीदारों अथवा सीमित दायित्व भागीदारी करार में यथा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर निर्धारित किया जाएगा।

(18) (क) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी करार में यथा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर किसी भी समय लेखा परीक्षक को पद से हटा सकते हैं।
(ख) जहां सीमित दायित्व भागीदारी करार में लेखा परीक्षकों को हटाने के संबंध में उपबंध नहीं किया गया है, वहाँ पर लेखा परीक्षकों को अपने कार्यालय से हटाने के लिए सभी भागीदारों की सहमति की आवश्यकता होगी ।

(19) (क) किसी एलएलपी का कोई लेखा परीक्षक एलएलपी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में इस आशय की सूचना लिखित में देखकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है ।

(ख) जहाँ कोई लेखा परीक्षक पुनः नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं है वहाँ पर वह इस आशय की सूचना को एलएलपी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में लिखित में नए लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए अनुज्ञात समय के समाप्त होने से 14 दिन से कम से पूर्व नहीं देगा ।

(ग) खण्ड (क) अथवा (ख) के अधीन सूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि उसके साथ कार्य भार न संभाल सकने से जुडी परिस्थितियों का ब्यौरा संलग्न न हों ।

(घ) लेखा परीक्षक का कार्यकाल सूचना दिए जाने की तारीख को अथवा सूचना में विनिर्दिष्ट किसी बाद वाली तारीख को समाप्त होगा ।

25(1) धारा 35 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी **प्ररूप 11** में रजिस्ट्रार के पास वार्षिक रिटर्न फाइल करेगा।

(2) किसी एलएलपी जिसका टर्नओवर पिछले वित्त वर्ष के दौरान 5 करोड रूपए तक हो अथवा अभिदाय 50 लाख रूपए तक हो तो उसके वार्षिक रिटर्न के साथ वार्षिक रिटर्न पर हस्ताक्षर करने वाले अभिहित भागीदार के अतिरिक्त किसी अन्य अभिहित भागीदार से इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए कि वार्षिक रिटर्न में सत्य तथा सही जानकारी है । अन्य सभी मामलों में वार्षिक रिटर्न के साथ किसी व्यवसाय कंपनी सचिव का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए कि उसने सीमित दायित्व भागीदारी की बहियों और अभिलेखों से विवरणों सत्यापित किया है और उन्हें सत्य और सही पाया है।

(3) वार्षिक रिटर्न फाइल करने के लिए धारा 35 की उपधारा (1) के अनुसरण में रजिस्ट्रार को भुगतान की जाने वाली फीस उपाबंध–अ में किए गए उल्लेख के अनुसार होगी।

26. रजिस्ट्रार द्वारा धारा 36 के अधीन रखे गए दस्तावेज उपाबंध 'अ' में उल्लिखित शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रति को प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्री में उपलब्ध होगें ।

अध्याय–VIII
पुराने अभिलेखों को नष्ट करना

27(1) रजिस्ट्रार दस्तावेजों को स्थायी रूप से परिरक्षित करेगा जैसाकि इन नियमों के उपाबंध–'आ' में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(2) रजिस्ट्रार के पूर्व आदेश के अध्यधीन, उसके कार्यालय में अभिलेखों को उनके परिरक्षण की अवधि की समाप्त होने के पश्चात नष्ट किया जा सकता है और जो निम्नवत विनिर्दिष्ट है :–

(क) 21 वर्षों के लिए परिरक्षित किए जाने वाले अभिलेख :
सीमित दायित्व भागीदारी परिसमापन लेखाओं से संबंधित सभी कागजात, रजिस्टर, रिफंड आदेश तथा पत्राचार।

(ख) 5 वर्षों के लिए परिरक्षित किए जाने वाले अभिलेख :
(i) सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित सरकारी आदेशों की प्रतियां ;
(ii) सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज जिन्हे ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित पत्राचार के साथ पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और समाप्त कर दिया गया है ;
(iii) मामले के निपटान और अपील, यदि कोई हो, की तारीख से कानूनी कार्यवाहियों से संबंधित कागजात ;
(iv) सरकार को प्रस्तुत सांख्यिकीय विवरण की प्रतियां ;
(v) लेखाओं की संवीक्षा वार्षिक रिटर्न, मुकदमा, केन्द्रीय सरकार तथा अधिकरण को रिपोर्ट से संबंधित पत्राचार तथा शिकायतों से संबंधित पत्राचार :

सहित सभी पत्राचार ।

परंतु अभियोजन के मामले में, मामले के निपटान और अपील, यदि कोई हो, तारीख से तारीख रिकार्ड किया जाएगा।

(ग) तीन वर्षों तक परिरक्षित रखे जाने वाले अभिलेख :
(i) उप–नियम (i), उप–नियम 2 के खण्ड (क) और खण्ड (ख), उप–नियम 3 तथा उप–नियम 4 में विनिर्दिष्ट सभी पुस्तकें, अभिलेख तथा कागजात।

(ii) फीस के भुगतान के संबंध में दिनचर्या पत्राचार, अतिरिक्त फाइलिंग फीस तथा दस्तावेजों के विवरण के बारे में पत्राचार ;

(3) प्रचालित किसी सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित इन नियमों के उपाबंध 'इ' में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों को उक्त उपाबंध में उनके सामने दर्शायी गयी अवधि के लिए परिरक्षित रखा जाएगा।

(4) विदेशी सीमित दायित्व भागीदारियों जिनका भारत में व्यवसाय का कोई स्थान समाप्त हो जाता है, के रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों को ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का भारत में व्यवसाय का स्थान समाप्त होने की तारीख से तीन वर्षों के समाप्त होने के पश्चात नष्ट किया जाएगा।

(5) रजिस्ट्रार इन नियमों के उपाबंध–'ई' में निर्धारित प्ररूप में, दो भागों में रजिस्टर का रखरखाव करेगा जिसमें वह नष्ट किए गए अभिलेखों के संक्षिप्त विवरण की प्रविष्टि करेगा और उसमें अपने हाथों से लिखकर नष्ट करने की तारीख और माध्यम को प्रमाणित करेगा।

(6) इन नियमों के उपबंधों लेखाओं तथा सभी विभागों के लिए सामान्य अभिलेखों के लिए अभिलेख रखरखाव अनुसूची के अधीन विहित की गई अवधि (सामान्य वित्तीय नियम के संकलन के परिशिष्ट 13 में सम्मिलित) से सम्बद्ध कार्यालय अभिलेखों के नष्ट करने के नियमों तथा ऐसे अन्य नियमों के अतिरिक्ति होंगे न कि इनके अपकर्षण में।

अध्याय–IX
अन्वेषण

28 धारा 43 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यों का अन्वेषण करने के लिए भागीदारों द्वारा आवेदन अन्वेषण की लागतों के भुगतान के लिए निम्नलिखित पैमाने पर परिकलित अधिकतम 25 लाख रू. की राशि के लिए ऐसी प्रतिभूति के साथ किया जाएगा :

	कारोबार (रू.) (तत्काल पिछले वित्त वर्ष के लिए शोधन क्षमता के लेखे के विवरण में कथनानुसार)	प्रतिभूति की राशि
(i)	1 करोड़ रू. तक	2 लाख
(ii)	1 करोड़ रू. अथवा उससे अधिक परन्तु 5 करोड़ रू. से कम	5 लाख
(iii)	5 करोड़ रू. अथवा उससे अधिक परन्तु 10 करोड़ से कम	10 लाख
(iv)	10 करोड़ रू. या उससे अधिक	25 लाख

स्पष्टीकरण : पिछले वित्त वर्ष के लिए लेखा और शोधन क्षमता विवरण के अभाव में, केन्द्रीय सरकार द्वारा तय प्रतिभूति की ऐसी राशि के अनसार ।

29 धारा 44 के प्रयोजनों के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यों का अन्वेषण करने के लिए धारा 43 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन भागीदारों द्वारा आवेदन को नियम 28 में विनिर्दिष्ट तरीके से परिकल्पित की गई ऐसी प्रतिभूति को जमा करवाने के साथ दिया जाएगा ।

30 धारा 49, की उपधारा (2), के खंड (ख) के अनुसरण में निरीक्षक की रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करने के लिए देय फीस प्रति पृष्ठ अथवा उसके भाग के लिए 5 रू. होगी।

31. धारा 54 के प्रयोजनों के लिए, किसी निरीक्षक अथवा निरीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति अधिप्रमाणित की जाएगी :

(क) सीमित दायित्व भागीदारी जिसके कार्यों का अन्वेषण किया गया है, की समान मुहर, यदि कोई हो, के द्वारा ; अथवा

(ख) भारतीय साक्ष्य अधिमियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 76 के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार रिपोर्ट की अभिरक्षा वाले सार्वजनिक अधिकारी के प्रमाण पत्र द्वारा।

अध्याय–X
सीमित दायित्व भागीदारी में सपरिवर्तन

32. (1) रजिस्ट्रार, किसी फर्म प्राइवेट कंपनी या गैर सूचीबद्ध सार्वजनकि पब्लिक कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने पर, प्ररूप 19 में अपने मोहर के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए अस्वीकार करने की स्थिति में आवेदक फर्म अथवा प्राइवेट कंपनी अथवा गैर–सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी, यथास्थिति ऐसे अस्वीकार की सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर अधिकरण को आवेदन कर सकता है ।

33. धारा 58 की उपधारा (1) के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, जिसमें फर्म, प्राइवेट कंपनी अथवा गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित किया गया है, संबंधित फर्म रजिस्ट्रार अथवा कंपनी रजिस्ट्रार, यथास्थिति को ऐसे सपरिवर्तन की सूचना प्ररूप **14** में एलएलपी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 दिन के भीतर देगा।

अध्याय–XI
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी

34 (1) कोई विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी भारत में व्यापार के स्थान को स्थापति करने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास प्ररूप 27 में फाइल करेगा –

(क) निगमन अथवा रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र और सीमित दायित्व भागीदारी के गठन करने अथवा गठन को परिभाषित करने वाले किसी अन्य उपकरण की एक प्रति ;

(ख) उसके निगमन के देश में सीमित दायित्व भागीदारी की रजिस्ट्रीकरण अथवा प्रधान कार्यालय का पूरा पता ;

(ग) भारत में सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यालय का पूरा पता जिसे भारत में उसके व्यापार का प्रधान स्थान समझा जाता है और ;

(घ) भागीदारों तथा अभिहित भागीदारों, यदि कोई हो, की सूची और भारत में दो अथवा अन्य व्यक्तियों के नाम तथा पते जो सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से प्रकिया और अन्य सूचना अथवा दस्तावेज जोकि सीमित दायित्व भागीदारी को पहुंचाए जाने के लिए अपेक्षित है, को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हों ।

(2) (i) यदि सीमित दायित्व भागीदारी को किसी ऐसे देश में निगमित किया गया है जोकि राष्ट्रमंडल का एक भाग हो तो उप–नियम (1) में संदर्भित दस्तावेजों की प्रतियों को सत्य प्रतियों के रूप में प्रमाणित किया गया होना चाहिए –

(क) सरकार के एक ऐसे पदाधिकारी द्वारा जिसके समक्ष मूल दस्तावेज बनाए गए हों; अथवा
(ख) राष्ट्रमंडल के उस भाग में किसी नोटेरी (पब्लिक) द्वारा; अथवा
(ग) सीमित दायित्व भागीदारी के किसी अधिकारी द्वारा राष्टमंडल के उस भाग में शपथ दिलाने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेकर ।

(ii) यदि सीमित दायित्व भागीदारी को किसी ऐसे देश में निगमित किया गया है जो राष्ट्रमंडल का भाग नहीं है परन्तु जिसने हेग एपोसटिल समझौता , 1961 पर हस्ताक्षर किए हैं :
(क) उप नियम (1) में संदर्भित दस्तावेजों की प्रतियों को सरकार के किसी ऐसे पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए जिसके समक्ष मूल दस्तावेजों को बनाया गया था और जोकि हेग समझौते के अनुसार विधिवत प्राधिकृत है ।

(ख) एलएलपी के भागीदारों तथा अभिहित भागीदारों, यदि कोई हों, की एक सूची, भारत में निवास कर रहे व्यक्तियों के नाम तथा पते जो सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से सूचना स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हैं, उन्हें विधिवत नोटरी किया गया होना चाहिए और हेग समझौते के अनुसार उनकी उत्पत्ति वाले देश में एपोस्टिल किया गया होना चाहिए ।

(iii) यदि सीमित दायित्व भागीदारी राष्ट्रमंडल के बाहर के किसी देश में निगमित हैं और उसने हेग समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हुए हैं तो उप नियम (1) में संदर्भित निगमन दस्तावेजों की प्रति को प्रमाणित किया गया होना चाहिए –

(क) सरकार के ऐसे किसी पदाधिकारी द्वारा जिसके समक्ष मूल दस्तावेजों को बनाया गया था ; अथवा
(ख) उस देश के किसी नोटरी (पब्लिक) द्वारा; अथवा
(ग) सीमित दायित्व भागीदारी के किसी अधिकारी द्वारा !

(iv) खण्ड (iii) के उप खण्ड (क) में संदर्भित पदाधिकारी के हस्ताक्षर अथवा मोहर या उक्त खण्ड के उप खण्ड (ख) में संदर्भित नोटरी (पब्लिक) के प्रमाण–पत्र को कूटनीतिक तथा वाणिज्य दूतावास अधिकारी (शपथ तथा शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 40) की धारा 3 के अधीन इस संबंध में प्राधिकृत किसी कूटनीतिज्ञ और वाणिज्य दूतावास के अधिकारी द्वारा, और जहां ऐसा कोई अधिकारी नहीं है वहॉ शपथ आयोग अधिनियम, 1989 (52 तथा 53 विक सी 10) की धारा 6 और उक्त को संशोधित करने वाले किसी अन्य अधिनियम में उल्लिखित किसी पदाधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया होना चाहिए ।

(v) खण्ड (iii) के उप खण्ड (ग) में उल्लिखित सीमित दायित्व भागीदारी के अधिकारी के प्रमाण–पत्र को किसी एक ऐसे व्यक्ति के समक्ष हस्ताक्षर किया गया होना चाहिए जिसके पास कूटनीतिज्ञ और वाणिज्य दूतावास अधिकारी (शपथ तथा शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 50) की धारा 3 में उपबंधों किए अनुसार शपथ दिलाने के लिए प्राधिकारी हो, अथवा शपथ आयुक्त अधिनियम 1989 की धारा 3 द्वारा (52 तथा 53 विक, सी 10), यथास्थिति हो, पश्चात वाले मामले में शपथ दिलाने वाले व्यक्ति के दर्जे को शपथ आयुक्त अधिनियम, 1989 (52 तथा 53 विक सी 10) की धारा 6 अथवा उक्त को संशोधित करने वाली किसी अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया होना चाहिए ।

(3) (i) यदि कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा होता है तो –
(क) भारत से बाहर निगमित या रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदारी को गठित अथवा गठन को परिभाषित करने वाले उपकरण में ;
(ख) भारत के बाहर अधिनिगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत अथवा प्रधान कार्यालय में; अथवा
(ग) भारत के बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदार के भागीदार अथवा अभिहित भागीदार में, यदि कोई हो,

तो विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के साथ ऐसे परिवर्तनों को **प्ररूप 28** में फाइल करेगा ।

(ii) यदि निम्नलिखित में कोई परिवर्तन होता है या किया जाता है तो –
(क) भारत के बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन अथवा रजिस्टीकरण का प्रमाण पत्र ;
(ख) भारत में किसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से सेवा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के नाम तथा पते में; अथवा
(ग) भारत में विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी के व्यापार का प्रधान स्थान,

विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी परिवर्तन किए जाने अथवा होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसे परिवर्तनो को रजिस्ट्रार के समक्ष **प्ररूप 29** में फाइल करेगा ।

(4) प्रत्येक विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी नियम 24 के उपबंधों के अनुसार वित्त वर्ष की छमाही की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लेखे तथा सोधन क्षमता के विवरण को **प्ररूप 8** में रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा ।

(5) (i) यदि उप नियम (1) अथवा (3) में उल्लिखित कोई दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में नहीं है तो उसके साथ उसका प्रमाणित अनुवाद संलग्न होना चाहिए ।

(ii) उप नियम (1) अथवा (3) के अनुसरण में रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के अंग्रेजी में अनुवाद को इस उप नियम के खण्ड (iii) अथवा खण्ड (iv) यथास्थिति में यथा उपकथित तरीके से सही होना प्रमाणित किया जाना होगा ।

(iii) जहाँ अनुवाद भारत से बाहर किया गया है उसे उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट तरीके से अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए ।

(iv) जहाँ ऐसे अनुवाद को भारत में किया गया है उसे निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणित करवाया जाना चाहिए –
(क) किसी अधिवक्ता, चार्टड अकाउन्टेंट कंपनी सचिव अथवा लागत लेखाकार; अथवा
(ख) किसी एक ऐसे व्यक्ति के शपथ–पत्र द्वारा जिसे पंजीयक के मतानुसार मूल दस्तावेजों की भाषा तथा अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान है ।

(6) प्रत्येक विदशी सीमित दायित्व भागीदारी में, विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी और जिस देश में सीमित दायित्व भागीदारी को निगमित किया गया है उसे सभी बीजको, अधिकारिक पत्राचार तथा सीमित दायित्व भागीदारी के प्रकाशनों में अंग्रेजी के शब्दों में पठनीय रूप से लिखा गया है।

(7) (क) जहाँ ऐसी कोई सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रार को भारत में निवास कर रहे ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा पते को पहुंचाने में चूक करती है, जो सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से प्रकिया, सूचना अथवा अन्य दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हैं; अथवा

(ख) यदि किसी भी समय जिन व्यक्तियों के नाम तथा पते दिए गए हैं वे मृत हो चुके हैं अथवा निवास करना छोड चुके हैं, अथवा सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से किसी सेवा को स्वीकार करने से मना करते हैं अथवा किसी अन्य कारण से उसे पहुंचाया नहीं जा सकता;
किसी दस्तावेज को सीमित दायित्व भागीदारी को भारत में सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा स्थापित व्यापार के किसी स्थान पर छोडकर अथवा, डाक द्वारा भेजकर दिया जा सकता है ।

(8) यदि किसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी का भारत में व्यापार का स्थान समाप्त हो जाता है, तो उसे 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को प्ररूप **29** में व्यापार के स्थान को बंद करने की अपनी आशय की सूचना देना होता है और इस प्रकार जिस तारीख से सूचना दी जाती है, सीमित दायित्व भागीदारी की रजिस्ट्रार को कोई दस्तावेज फाइल करने की बाध्यता समाप्त हो जाती है परन्तु उसका भारत में व्यापार का कोई अन्य स्थान न हो और उसने सूचना की तारीख को फाइल किए जाने वाले सभी दस्तावेजों को फाइल कर दिया है ।

(9) किसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज को नई दिल्ली पर क्षेत्राधिकार होने वाले रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रानिक रूप में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट www.mca.gov.in पर अनुरक्षित पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा ।

(10) रजिस्ट्रार **प्ररूप 27** के रजिस्ट्रीकरण पर किसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा भारत में व्यापार के स्थान की स्थापना के लिए प्ररूप **30** में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(11) इस अध्याय में अपेक्षित किसी प्ररूप अथवा दस्तावेज की फाइलिंग अथवा डिलीवरी अथवा रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को उपाबंध 'अ' में उल्लेख के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जाएगा ।

अध्याय–XII
सीमित दायित्व भागीदारी का समझौता, ठहराव अथवा पुनर्निर्माण

35 (1) लेनदारों अथवा भागीदारों या लेनदारों तथा भागीदारों की बैठक को बुलाने के आदेश के लिए धारा 60 की उप–धारा (1) के अधीन आवेदन के साथ एक शपथ–पत्र होना चाहिए । प्रस्तावित समझौते अथवा ठहराव की एक प्रति को शपथपत्र में उसके एक प्रदर्शन के रूप में संलग्न किया जाएगा। तत्संबंधी समर्थन वाला शपथ पत्र, **प्ररूप 20** में होगा

(2) जहां सीमित दायित्व भागीदारी आवेदक नहीं है, समन की सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम 14 दिन पहले समन और शपथपत्र की एक–एक प्रति सीमित दायित्व भागीदारी को अथवा, जहां सीमित दायित्व भागीदारी परिपरिसमापन की जा रही है, इसके समापक को भेजी जाएगी। समन **फार्म 21** में होंगे !

(3)(क) समन अथवा उसकी स्थगित सुनवाई की सुनवाई होने पर अधकिरण, यदि यह किसी कारण से समन को निरस्त करना उचित नहीं समझता है, ऐसे निर्देश देगा जो यह निम्नलिखित मामलों के लिए आवश्यक समझता है :

(i) ऋणदाताओं और/अथवा भागीदारों जिनकी बैठक अथवा बैठकें प्रस्तावित समझौता अथवा ठहराव पर विचार करने के लिए आयोजित की जाएंगी, को विचार करना ;

(ii) ऐसी बैठक अथवा बैठकों का समय और स्थान निर्धारित करना ;

(iii) आयोजित होने वाली बैठक अथवा बैठकों, के लिए अध्यक्ष अथवा अध्यक्षों की नियुक्ति करना ;

(iv) परोक्षी द्वारा मत देने सहित, बैठक अथवा बैठकों में गणपूर्ति (कोरम) और अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करना ;

(v) ऋणदाताओं और/अथवा भागीदारों, यथास्थिति, जिनकी बैठकें आयोजित की जाएंगी, का मूल्य निर्धारित करना ;

(vi) बैठक अथवा बैठकों की सूचना और ऐसी सूचना का विज्ञापन, यदि कोई हो, देना ;

(vii) समय जिसके भीतर बैठक के अध्यक्ष को अधिकरण में रिपोर्ट करना है तथा बैठक का परिणाम ; और

(viii) ऐसे अन्य मामले जो अधिकरण आवश्यक समझे।

(ख) खण्ड (क) के अधीन दिए गए आदेश इस संबंध में अधिकथित नियमों के अनसुार होंगे ।

(4) (i) परोक्षी द्वारा मत देने की अनुमति दी जाएगी, परन्तु बैठक में उपस्थित होने और मत देने के हकदार व्यक्ति द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित **प्ररूप 26** में प्रतिपत्र बैठक के अधिकतम 48 घंटे पहले रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सीमित दायित्व भागीदारी के पास फाइल किया जाएगा।

(ii) जहां कारपोरेट निकाय जो सीमित दायित्व भागीदारी का एक भागीदार अथवा ऋणदाता है, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों अथवा ऋणदाताओं, यथास्थिति की बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करता है, बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार की एक प्रति, और अभिहित भागीदार द्वारा अथवा ऐसी कारपोरेट निकाय के अन्य प्राधिकृत अधिकारी, द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित प्रति बैठक से पहले अधिकतम 48 घंटे के भीतर इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सीमित दायित्व भागीदारी के पास दर्ज की जाएगी।

(5) ऋणदाताओं और/ अथवा भागीदारों को दी जाने वाली बैठक की सूचना, इस संबंध में निर्धारित नियम के अनुसार होगी और इसे बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष द्वारा अथवा, यदि अधिकरण ऐसा निदेश देता है, सीमित दायित्व भागीदारी (अथवा इसके समापक) द्वारा, अथवा किसी अन्य व्यक्ति जो कि अधिकरण निदेश दे, द्वारा बैठक के लिए निर्धारित तारीख से न्यूनतम 21 दिन पहले व्यक्तिशः उनके अंतिम ज्ञात पते पर डाक प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा भेजा जाएगा। इसके साथ प्रस्तावित समझौता अथवा ठहराव की एक प्रति तथा अभिहित भागीदारों के भौतिक हित को दर्शाने वाला एक विवरण, यदि कोई हो, और परोक्षी का एक प्ररूप संलग्न किया जाएगा।

(6) बैठक की सूचना का विज्ञापन, यदि ऐसा अधिकरण निर्णय लेता है, ऐसे समाचार पत्रों में और ऐसे तरीके से दिया जाएगा जैसाकि अधिकरण निदेश दे।

(7) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा बैठक में भाग लेने के हकदार प्रत्येक ऋणदाता अथवा भागीदार को, निःशुल्क तथा इसकी की गई मांग के 48 घंटे के भीतर प्रस्तावित समझौता अथवा ठहराव की प्रति भेजी जाएगी ।

(8) बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष अथवा बैठक के विज्ञापन और सूचना जारी करने के लिए निदेशित सीमित दायित्व भागीदारी अथवा अन्य व्यक्ति यह दर्शाते हुए बैठक के आयोजन अथवा बैठकों में से प्रथम

बैठक के आयोजन, यथास्थिति के लिए निर्धारित तारीख से न्यूनतम 7 दिन पहले शपथपत्र जारी करेगा कि सूचना और विज्ञापन के विषय के संबंध में निर्देशों का विधिवत रूप से पालन किया गया है। इसकी चूक होने पर, समन ऐसे आदेशों के लिए अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो यह उचित समझे।

(9) बैठक का अध्यक्ष, अथवा जहां अलग–अलग बैठकें हो, प्रत्येक बैठक का अध्यक्ष अधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर, अथवा कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, बैठक समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर, अधिकरण को इसके परिणाम की रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट में ऋणदाताओं अथवा भागीदारों, यथास्थिति, जो उपस्थित थे और जिन्होंने व्यक्ति रूप से अथवा परोक्षी द्वारा बैठक में मत दिया, की संख्या, उनके व्यक्तिगत मूल्य और उनके मत देने के तरीके के बारे में सही–सही उल्लेख होगा।

(10) (i) जहां धारा 60 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित, संशोधन के साथ अथवा उसके बिना, प्रस्तावित समझौता अथवा ठहराव पर सहमति बनती है तो सीमित दायित्व भागीदारी, अथवा इसका समापक, यथास्थिति, अध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट फाइल करने के 7 दिनों के भीतर, समझौता अथवा ठहराव की पुष्टि के लिए अधिकरण में याचिका प्रस्तुत करेगा।

परन्तु जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी के पुनर्निर्माण अथवा किन्ही दो या उससे अधिक सीमित दायित्व भागीदारियों के आमेलन के लिए, योजना के प्रयोजनों के लिए, अथवा के संबंध में, किसी समझौता अथवा ठहराव का प्रस्ताव किया जाता है, याचिका में धारा 62 के अधीन समुचित आदेश और निर्देश के लिए अनुरोध किया जाएगा।

(ii) जहां सीमित दायित्व भागीदारी यथोक्त समझौता अथवा ठहराव की पुष्टि के लिए याचिका प्रस्तुत करने में असफल रहता है, यह याचिका प्रस्तुत करने के लिए, अधिकरण की अनुमति से, किसी ऋणदाता अथवा भागीदार के लिए खुला होगा तथा सीमित दायित्व भागीदारी उसकी लागत के लिए दायी होगा।

(iii) जहां समझौता अथवा ठहराव की पुष्टि के लिए कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की जाती है, अथवा धारा 60 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित बहुमत के द्वारा समझौता अथवा ठहराव अनुमोदित नहीं किया गया है, उप नियम (9) के अधीन की गई बैठक के परिणाम से संबंधित अध्यक्ष की रिपोर्ट को अधिकरण के सक्षम ऐसे आदेशों के लिए विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा जो आवश्यक हो।

(11) धारा 60 की उप धारा (3) और धारा 62 की उप धारा (3) में यथा उल्लिखित अधिकरण द्वारा आदेश उपाबंध–'अ' में यथा उल्लिखित फीस के साथ **प्ररूप 22** में रजिस्ट्रार के समक्ष फाईल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – आदेश की तारीख से 30 दिन की गणना करते समय आदेश की प्रमाणित प्रति को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(12) (i) किसी एलएलपी के पुनः प्रर्वतन तथा पुनरूद्धार के लिए एक ठहराव को प्रस्तावित किया जा सकता है –
(क) जहॉ किसी एलएलपी के 50 प्रतिशत अथवा अधिक की बकाया ऋण की राशि, जिसे अदा करने में एलएलपी असफल रही है, को दर्शाने वाले लेनदारों द्वारा मांग की गई है, वहॉ पर ऐसी मांग की सूचना को दिए जाने के 30 दिन के भीतर अथवा उसे लेनदारों की युक्तियुक्त समाधान के अनुरूप प्रतिभूत करने या संचित करने; अथवा

(ख) जहॉ किसी एलएलपी के परिसमापन के लिए कोई याचिका अधिकरण द्वारा परिसमापन याचिका पर दिए गए निदेशों के अनुसार अधिकरण के समक्ष लंबित है; अथवा

(ग) जहॉ समापक की रिपोर्ट पर अधिकरण द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार समापक ने अपनी रिपोर्ट को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

(ii) खण्ड (i) में किसी प्रतिकूलता के बिना एलएलपी अथवा कोई लेनदार अथवा एलएलपी का कोई भागीदार, एलएलपी को समाप्त किए जा रहे मामले में कोई समापक, अधिकरण के समक्ष पुनः प्रर्वतन तथा पुनरूद्धार के लिए ठहराव की स्वीकृति के लिए कोई आवेदन दे सकता है ।

(13) (i) उप–नियम (12) के अधीन किसी आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होने चाहिए –
(क) एलएलपी द्वारा उप नियम (12) के अधीन आवेदन दिए जाने के मामले में तत्काल
पिछले वित्त वर्ष के लिए एलएलपी के लेखे तथा शोधन क्षमता का विवरण,

(ख) योजना से संगत विवरण तथा दस्तावेज जिसमें विभिन्न पक्षों से प्रस्तावित वित्तीय अथवा अन्यथा प्रतिबद्धताएं, ऋणों की प्रस्तावित पुंनर्सरचना अथवा पुंनःनिर्धारण, और अन्य कोई वचन या समझ, बैंक अथवा वित्तीय संस्था के मामले में किसी पत्र के माध्यम से अथवा किसी अन्य मामले में संबंधित पक्ष या पक्षों के शपथ पत्र के द्वारा, अथवा अधिकरण द्वारा निदेश दिए अनुसार किसी भी अन्य रूप में ; और

(ग) एक एलएलपी प्रशासक की नियुक्ति के प्रस्ताव सहित एलएलपी के पुनः प्रवंतन तथा पुनरूद्धार की प्रस्तावित योजना ।

(ii) उप–नियम (12) के अधीन किसी आवेदन को अधिकरण को मांग सूचना की समाप्ति की तारीख से 90 दिनों के भीतर अथवा उप–नियम 12 के खण्ड (1) के अधीन अधिकरण को संदर्भित करने के निदेश की तारीख से ।

(14) (क) उप–नियम (12) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर अधिकरण सभी संबंधित पक्षों को सुन और आवेदन को स्वीकार अथवा खारिज कर सकता है ;

(ख) जहाँ अधिकरण किसी आवेदन को स्वीकार करता है तो वह इस आशय का एक आदेश देगा और निम्नलिखित मामलों में से सभी अथवा किसी एक के लिए उक्त आदेश में उपबंध करेगा –
(i) एलएलपी के पुनः प्रर्वतन तथा पुनरूद्धार के लिए प्रस्तावित योजना के अनुमोदन के लिए लेनदारों की बैठक आयोजित करना;
(ii) उक्त बैठक के अध्यक्ष की नियुक्ति सहित बैठक के आयेाजन के संबंध में योजना में प्रस्तावित एलएलपी प्रशासक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रकिया;
(iii) अन्य कोई निदेश अथवा आदेश जिसे आवश्यक समझा जाए ।

(ग) योजना में प्रस्तावित एलएलपी प्रशासक बैठक में लिए गए निर्णय सहित अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट को उप–नियम 14 के उप खंड (ख) के अधीन दिए गए आदेश के 60 दिनों के भीतर अधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

(15) (i) उप नियम (14) के खण्ड (ग) के अधीन एलएलपी प्रशासक की रिपोर्ट और उपलब्ध अन्य सामग्री पर विचार करने के पश्चात यदि अधिकरण का इस पर समाधान है कि एलएलपी के विरूद्ध देय राशि के मूल्य का तीन चौथाई दर्शाने वाले लेनदार योजना में संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के इस पर सहमत हो जाते हैं कि एलएलपी का पुनः प्रर्वतन तथा पुनरूद्धार संभव नहीं है तो अधिकरण ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर आदेश दे सकता है कि –
(क) यह कि एलएलपी के परिसमापन के लिए कार्यवाही प्रारंभ की जाए; अथवा
(ख) एलएलपी को समाप्त किया जाए, अथवा समापक कार्य करता रहे; अथवा
(ग) एलएलपी के पुनः प्रर्वतन तथा पुनरूद्धार के लिए ठहराव को लेनदारों द्वारा अनुमोदित किए अनुसार अधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों के साथ स्वीकृत करे और एलएलपी प्रशासक के कार्य करते रहने अथवा एक नए एलएलपी प्रशासक की नियुक्ति के लिए आदेश दें ।
परन्तु कि अधिकरण लेनदारों की बैठक में एलएलपी द्वारा लाए गए किसी अन्य एलएलपी प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव सहित पुनः प्रर्वतन तथा पुनरूद्धार के ठहराव के अनुमोदन पर विचार करे, अथवा लेनदारों या समापक द्वारा प्रस्तावित ठहराव के स्थान पर किसी अन्य ठहराव के अनुमोदन पर विचार करे परंतु उस व्यवस्था को मूल्य रूप में तीन–चौथाई बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया हो ।

परंतु और यह भी कि जहाँ पुनः प्रर्वतन तथा पुनरूद्धार का ठहराव एलएलपी के किसी अन्य एलएलपी के साथ समामेलन से संबंधित है वहाँ अधिकरण द्वारा किसी योजना को तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उक्त योजना को संशोधन के साथ अथवा संशोधन के बिना अंतरणकर्ता तथा अंतरिती एलएलपी के संबंधित भागीदारों के तीन–चौथाई द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो ।

(ii) खण्ड (1) के अधीन अधिकरण द्वारा ठहराव की स्वीकृति का आदेश निम्नलिखित में से सभी अथवा किसी एक मामले में उपबंध कर सकता है –
(क) एलएलपी प्रशासक की शक्तियां तथा कार्य;
(ख) समय अवधि जिसके भीतर व्यवस्था में प्रस्तावित विभिन्न कार्रवाइयों को किया जाना है;
(ग) पुनः प्रर्वतन तथा पुनरूद्धार की ठहराव के कियान्वयन के प्रयोजन के लिए एलएलपी अथवा उसके अधिकारियों अथवा लेनदारों, अथवा एलएलपी प्रशासक अथवा अन्य व्यक्तियों को ऐसा कोई निदेश, जिसे आवश्यक समझा जाए; और
(घ) अन्य कोई आदेश या आदेश जिसे आवश्यक समझा जाए ।

(16) एलएलपी प्रशासक पुनः प्रर्वतन तथा पुनरूद्धार ठहराव के कियान्वयन से संबंधित सभी कार्रवाइयों को पूरा करेगा और अधिकरण के समक्ष अपनी अंतिम रिपोर्ट को अधिकरण द्वारा निर्देशित समय के भीतर प्रस्तुत करेगा परन्तु यह उप नियम (15) के खण्ड (i) के अधीन दिए गए आदेश से 180 दिनों से अधिक नहीं होगा;

(17) (i) एलएलपी प्रशासक को एलएलपी के परिसमापन तथा विघटन किए जाने के लिए सरकार द्वारा अनुरक्षित एक पैनल में से नियुक्त किया जाएगा ।
(ii) एलएलपी प्रशासक के शुल्क सहित उसकी नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें अधिकरण द्वारा आदेश दिए गए अनुसार होंगी ।
(iii) अधिकरण युक्तियुक्त दर्शाए जाने और लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से एलएलपी प्रशासक को हटाकर किसी अन्य एलएलपी प्रशासक को नियुक्त कर सकता है ।
(iv) एलएलपी प्रशासक को हटाए जाने, उसकी मृत्यु अथवा अक्षमता के मामले में अधिकरण किसी अन्य एलएलपी प्रशासक को नियुक्त कर सकता है ।
(v) एलएलपी प्रशासक को उप नियम (15) के अधीन आदेश दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रमाणित प्रतियों को संबंधित रजिस्ट्रार के समक्ष प्ररूप **22** में उपाबंध 'अ' में उल्लिखित शुल्क के साथ फाइल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि की गणना करने में, आदेश की प्रमाणित प्रति को प्राप्त करने के अपेक्षित समय को सम्मिलित नहीं करना चाहिए ।

अध्याय–XIII
दस्तावेजों की इलेक्ट्रानिक फाइलिंग

36(1) (i) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल किए जाने अथवा सुपुर्द किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक ई–प्ररूप अथवा आवेदन अथवा दस्तावेज अथवा घोषणा कम्प्यूटर रिडेबल इलेक्ट्रानिक प्ररूप में, पोर्टेबल डाक्यूमेंट फार्मेट (पीडीएफ) में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट www.mca.gov.in पर अनुरक्षित किसी पोर्टल अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वेबसाइट के माध्यम से फाइल किया जाएगा तथा इसे उक्त प्रयोजन के लिए सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार अथवा अभिहित भागीदार द्वारा मान्य डिजीटल हस्ताक्षर का उपयोग करके अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

परंतु जहां दस्तावेज नान–ज्युडिसियल स्टाम्प पेपर पर फाइल किया जाना अपेक्षित है, एलएलपी इलेक्ट्रानिक प्ररूप में प्रस्तुत करने के अलावा वास्तविक रूप में इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार किसी आदेश द्वारा उनके भौतिक रूप में प्रस्तुत किए जाने के लिए छूट नहीं देती है ।

(ii) ई–प्ररूप, दस्तावेज अथवा आवेदन आदि, जिन्हें अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल अथवा सुपुर्द किया जाना अपेक्षित है के अधिप्रमाणन के लिए प्रत्येक अभिहित भागीदार, भागीदारों अथवा अधिनियम में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को ऐसे अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए प्रमाणन अधिकारी से डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और ऐसा प्रमाण–पत्र वैध नहीं होगा यदि यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अधीन श्रेणी II अथवा श्रेणी III विनिर्देशन का नहीं है।

(2) केन्द्रीय सरकार आवेदन ई–प्ररूप, दस्तावेजों और आवेदनों आदि को फाइल करने, इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री में दस्तावेजों को देखने और निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित स्थापित करेगी तथा रखरखाव करेगी –

(i) इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री तक पहुंच प्रदान करने के लिए वेबसाइट अथवा पोर्टल ; और,

(ii) अधिक से अधिक रजिस्ट्रार के फ्रंट आफिस जिनकी आवश्यकता हो तथा ऐसे स्थान पर और ऐसे समय के लिए जैसाकि केन्द्रीय सरकार समय–समय पर निर्धारित करे।

(3) (i) केन्द्रीग्र सरकार एक सुरक्षित इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री स्थापित करेगी और रखरखाव करेगी जिसमें इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल किए गए सभी दस्तावेजों को रखा जाएगा। इस प्रकार स्थापित इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री उपाबंध 'अ' में उल्लेख किए अनुसार यथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर ऐसे दस्तावेजों की सार्वजनिक पहुंच और निरीक्षण को समर्थ बनाएगी जिन्हें अधिनियम के अधीन सार्वजनिक अधिकार–क्षेत्र में रखा जाना आवश्यक है।

(ii) अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रार अथवा केन्द्रीग्र सरकार का किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज अथवा आवेदन अथवा प्रमाण पत्र को ऐसे व्यक्ति के वैध डिजीटल हस्ताक्षर या प्रणाली सृजित डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(iii) रजिस्ट्रार अथवा केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी, यथास्थिति, इलेक्ट्रानिक तरीके से सीमित दायित्व भागीदारी अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, भागीदार अथवा दोनों को पत्र भेज सकता है जिसके लिए एलएलपी ऐसे पत्र, स्वचल अथवा अन्यथा को प्राप्त करने और पावती भेजने में सक्षम एक वैध इलेक्ट्रानिक पता (उदाहरण के लिए ई–मेल, यूजर आइडेन्टिफिकेशन आदि) हमेशा तैयार कर सकती है और रख सकती है।

(4) रजिस्ट्रार अथवा केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी इलेक्ट्रानिक तरीके से प्रमाण पत्र, रसीद, अनुमोदन जारी कर सकती है अथवा पृष्ठांकन अथवा पावती भेज सकता है।

परंतु जहां रजिस्ट्रार अथवा केन्द्रीय सरकार का अधिकारी, यथास्थिति लिखित रूप अभिलेख किए जाने वाले कारणों से इलेक्ट्रानिक तरीके से कोई प्रमाण पत्र, रसीद, पृष्ठांकन, पावती अथवा अनुमोदन जारी करने में सक्षम नहीं है, वह अपने कार्यालय का मोहर लगाकर मैनुअल हस्ताक्षर के अधीन वास्तविक प्ररूप में ऐसा प्रमाण पत्र, रसीद भेज सकता है अथवा पृष्ठांकन, पावती या अनुमोदन सूचित कर सकता है।

(5) रजिस्ट्रार अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, रिकार्ड में लेने अथवा सुधार के लिए, यथास्थिति, फाइल किए जाने वाले अथवा सौंपे जाने के लिए अपेक्षित अथवा प्राधिकृत प्रत्येक आवेदन अथवा ई–प्ररूप की परीक्षण करेगा अथवा परीक्षण करवाएगा ।

परन्तु कि सूचनात्मक स्वरूप के रूप में अभिज्ञात तथा स्ट्रेट थ्रू प्रॉसेस (एसटीपी) के अधीन फाइल किए गए ई–फार्म की रजिस्ट्रार द्वारा फाइल किए जाने के बाद किसी भी समय परीक्षण की जा सकती है।

(6) जहां रजिस्ट्रार, उप नियम (5) में संदर्भित ऐसे किसी आवेदन अथवा ई–प्ररूप अथवा दस्तावेज की परीक्षण करने पर, अतिरिक्त सूचना की मांग करना आवश्यक समझता है अथवा ऐसे आवेदन अथवा ई–प्ररूप अथवा दस्तावेज को अथवा अपूर्ण पाता है, वह मांगी गई ऐसी सूचना अथवा पाए गए दोष अथवा अपूर्णतता को इलेक्ट्रानिक रूप से इसकी वेबसाइट पर डालकर तथा व्यक्ति अथवा सीमित दायित्व भागीदारी, जिसने ऐसे आवेदन अथवा ई–प्ररूप अथवा दस्तावेज फाइल किया है, को अंतिम सूचित ई–मेल पता पर ई–मेल द्वारा भी सूचित करेगा, जिसमें ऐसी सूचना प्रस्तुत करने अथवा ऐसी त्रुटि या अपूर्णता को दूर करने अथवा ऐसे आवेदन अथवा–प्ररूप दस्तावेज को उप–नियम (7) के अधीन अनुज्ञात अवधि के भीतर पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश देना ।

परंतु यदि संदर्भित व्यक्ति अथवा सीमित दायित्व भागीदारी का ई–मेल पता उपलब्ध नहीं है, रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी सूचना प्ररूप **12** में दिए गए अंतिम सूचित पता पर अथवा सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर अथवा ऐसे व्यक्ति के पता, यथास्थिति डाक द्वारा भेजी जाएगा। रजिस्ट्रार इलेक्ट्रानिक रिकार्ड में ऐसी सूचना के तथ्यों को परिरक्षित करेगा।

(7) रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति अथवा एलएलपी जिसने उप–नियम(5) के अधीन ऐसा आवेदन अथवा ई–प्ररूप अथवा दस्तावेज फाइल किया है, को कुल मिलाकर 30 दिनों से अधिक न होने वाली अवधि का समय देते हुए अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने अथवा त्रुटि अथवा अपूर्णता को दूर करने के लिए अथवा ऐसे आवेदन अथवा ई–प्ररूप अथवा दस्तावेज को पुनः प्रस्तुत करने के लिए अवसर देगा ।

(8) उपनियम (7) के अधीन अनुज्ञात की गई अवधि के निकाय, मांगी गई अतिरिक्त सूचना प्रदान नहीं की गई है अथवा आंशिक रूप से प्रस्तुत की गई है अथवा प्रदान नहीं की गई है अथवा त्रुटियों अथवा अपूर्णता को दूर नहीं किया गया है अथवा आंशिक रूप से दूर किया गया है अथवा रजिस्ट्रार की समाधान के अनुरूप दूर नहीं किया गया है, के मामलों में, रजिस्ट्रार इलेक्ट्रानिक रिकार्ड में ऐसे आवेदन अथवा ई–प्ररूप अथवा दस्तावेज यथास्थिति को अस्वीकार कर देगा अथवा "अमान्य" के रूप में वर्गीकृत करेगा तथा ऐसे अमान्य आवेदन अथवा ई–प्ररूप अथवा दस्तावेज को रिकार्ड में नहीं रखेगा और तदनुसार ऐसे व्यक्ति अथवा सीमित दायित्व भागीदारी, यथास्थिति हो, को उपनियम (6) में यथा विनिर्दिष्ट रीति से सूचित करेगा।

(9) जहां रजिस्ट्रार द्वारा किसी दस्तावेज को अमान्य के रूप में रिकार्ड किया गया है, सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा ऐसे दस्तावेज को अधिनियम के अधीन किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथा लागू फीस तथा अतिरिक्त फीस के भुगतान के साथ नई फाइलिंग द्वारा ही त्रुटि को दूर कियां जा सकता है।

(10) अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, रजिस्ट्रार दस्तावेज की फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों से अधिक अनुमोदन और रजिस्ट्रीकरण के लिए अथवा रिकार्ड में रखने के लिए अथवा अस्वीकृति के लिए अथवा अन्यथा के लिए लंबित नहीं रखेगा।

(11) यदि रजिस्ट्रार, उपनियम (5) के अधीन परंतुक में संदर्भित स्ट्रेट थ्रू प्रॉसेस (एसटीपी) के अधीन फाइल किए गए ऐसे ई– प्ररूप अथवा दस्तावेज को, किसी भी समय किसी भी संबंध में त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण पाता है, वह ऐसे ई–प्ररूप अथवा दस्तावेज को इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री में 'त्रुटिपूर्ण' के रूप में मानेगा और वर्गीकृत करेगा तथा ऐसे ई–प्ररूप अथवा दस्तावेज में इन त्रुटियों अथवा अपूर्णता या उल्लेख करते हुए व्यक्ति अथवा एलएलपी जिसने दस्तावेज फाइल किया है, के अंतिम सूचित ई–मेल पता (यदि उपलब्ध हो) पर तथा ऐसे व्यक्ति के पता अथवा ऐसे एलएलपी के पता अथवा एलएलपी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता पर डाक द्वारा लिखित रूप में भी सूचना भी जारी करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति अथवा एलएलपी से ऐसे सूचना की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर इन त्रुटियों अथवा अपूर्णता को दूर करने के पश्चात फीस तथा ऐसे प्रयोज्य अतिरिक्त फीस के साथ नया ई–प्ररूप अथवा दस्तावेज फाइल करने के लिए कहा जाएगा।

अध्याय–XIV
निष्क्रिय एलएलपी का नाम काटना

37(1) जहां सीमित दायित्व भागीदारी कोई कारोबार अथवा प्रचालन नहीं कर रही है :
(क) दो वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए और रजिस्ट्रार को वही विश्वास करने का पर्याप्त कारण है, तो एलएलपी का नाम हटाने के लिए स्वतः कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिए अथवा

(ख) एक वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए और रजिस्टर से सीमित दायित्व भागीदारी के नाम को काटने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार को प्ररूप **24** में उसके सभी भागीदारों की सहमति से एक आवेदन दिया गया है,

रजिस्ट्रार, रजिस्टर से सीमित दायित्व भागीदारी के नाम काटने को अपनी आशय की लिए सीमित दायित्व भागीदारी तथा उसके सभी भागीदारों को एक सूचना भेजेगा और उनसे सूचना की तारीख से एक मास के भीतर संगत दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रतियों के साथ अपने अभ्यावेदनों को भेजने के लिए अनुरोध करेगा ।

परंतु खंड(ख) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा कोई सूचना अपेक्षित नहीं होगी ।

परंतु यह और कि जहां पर सीमित दायित्व भागीदारी को विशेष कानून के अधीन विनियमित किया जाता है, इसके नाम को काटने के लिए आवेदन के साथ उस कानून के अधीन गठित अथवा स्थापित नियामक निकाय का अनुमोदन संलग्न होना चाहिए।

(2) उपनियम (1) के अधीन जारी सूचना अथवा एलएलपी के किसी आवेदन की विषय–वस्तु को आम जनता के सूचनार्थ एक मास की अवधि के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

(3) उपर्युक्त उप–नियम (1) में सूचना में उल्लिखित समय अथवा उपर्युक्त उप–नियम (2) के अधीन एक मास के पश्चात, रजिस्ट्रार यदि सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इसके प्रतिकूल दर्शाया नहीं जाता है, अथवा रजिस्ट्रार समाधान है कि नाम को रजिस्टर से काटा नहीं जाना चाहिए, रजिस्टर से उसका नाम काटना, और राजपत्र में इसकी सूचना प्रकाशित करेगा तथा इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात सीमित दायित्व भागीदारी का विघटन हो जाएगा ।

(4) रजिस्ट्रार, उपनियम (3) के अधीन आदेश पारित करने से पहले, जहां उसके पास यह मानने के लिए समुचित कारण है कि सीमित दायित्व भागीदारी के पास कोई संपत्ति अथवा दायित्व है, वह स्वयं को समाधान करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा देय सभी राशि को प्राप्त करने के लिए तथा युक्तियुक्त समय के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इसकी देयताओं और दायित्वों के भुगतान अथवा निष्पादन के लिए पर्याप्त उपाय किया गया है तथा यदि आवश्यक हो, अभिहित भागीदार अथवा भागीदार अथवा सीमित दायित्व भागीदारी के प्रबंध के प्रभारी अन्य व्यक्तियों से आवश्यक वचन प्राप्त करेगा :

परंतु इस उप नियम में संदर्भित वचन के सिवाय सीमित दायित्व भागीदारी की सम्पत्तियों को रजिस्टर में सीमित दायित्व भागीदारी के नाम को काटने की तारीख के पश्चात भी अपनी सभी दायित्व और दायित्वों के भुगतान अथवा निर्वहन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) उपनियम (3) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक अभिहित भागीदार दायित्व, यदि कोई हो, जारी रहेगी तथा प्रवर्तनीय रहेगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी को विघटित नहीं किया गया है।

(6) सीमित दायित्व भागीदारी जिसका नाम रजिस्टर से काट दिया गया है, को समाप्ति करने के अधिकरण की शक्ति को इस नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्पश्टीकरण – आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि की गणना करने में आदेश की प्रमाणित प्रति को प्राप्त करने में अपेक्षित समय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

अध्याय–XV
फर्म से सीमित दायित्व भागीदारी में सपरिवर्तन

38 (1) द्वितीय अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, उपाबंध–'अ' में उल्लेख किए अनुसार शुल्क के साथ प्ररूप **17** के भाग ख में फार्मेट उपबंधित कराए गए प्रारूप में भागीदारों के कथन के साथ प्ररूप **17** के भाग क में फार्मेट उपबंधित प्रारूप में एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) रजिस्ट्रार, फर्म के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने पर, प्ररूप **19** अपने मोहर के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) द्वितीय अनुसूची के पैरा 5 के प्रयोजनों के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी प्ररूप **14** में फर्म के सीमित दायित्व भागीदारी में सपरिवर्तन के बारे में फर्मों के संबंधित रजिस्ट्रार को सूचित करेगा।

अध्याय–XVI
प्राइवेट कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में सपरिवर्तन

39 (1) (1) तृतीय अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, उपाबंध–'अ' में उल्लेख किए गए अनुसार शुल्क के साथ प्ररूप **18** के भाग ख में करवाए गए प्ररूप में शेयरधारकों के कथन के साथ प्ररूप **18** के भाग अ में फार्मेट उपबंधित करवाए गए में एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) रजिस्ट्रार, प्राइवेट कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने पर, प्ररूप **19** में अपने मोहर के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) तृतीय अनुसूची के पैरा 4 के प्रयोजनों के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी फर्म 14 में प्राइवेट कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में सपरिवर्तन के बारे में कंपनियों के संबंधित रजिस्ट्रार को सूचित करेगा।

अध्याय–XVII
गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन

40(1) चौथी अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, उपाबंध–'अ' में उल्लेख किए अनुसार शुल्क के साथ प्ररूप 18 के भाग ख में फार्मेट उपबंधित रूप में शेयरधारकों के कथन के साथ प्ररूप 18 के भाग अ में फार्मेट उपबंधित रूप में एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) रजिस्ट्रार, गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने पर, प्ररूप 19 में अपने मोहर के साथ रजिस्टीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) चौथी अनुसूची के पैरा 5 के प्रयोजनों के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी प्ररूप 14 में गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में सपरिवर्तन के बारे में कंपनियों के संबंधित रजिस्ट्रार को सूचित करेगा।

अध्याय–XVIII
अपराधों को शमन करना

41(1) किसी अपराध को शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 31 में रजिस्ट्रार को दिया जाएगा जो उक्त पर अपनी टिप्पणियों के साथ उसे केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा ।

(2) जहाँ किसी अपराध को अभियोजन से पूर्व शमन किया गया है, वहाँ इस प्रकार शमन किए गए अपराध के संबंध में जिस अपराधी के विरूद्ध वह अपराध शमन किया गया है उसके संबंध में कोई अभियोजन नहीं चलाया जाएगा ।

(3) जहाँ किसी अपराध के अभियोजन को चलाए जाने के पश्चात शमन किया गया है वहाँ ऐसे शमन किए जाने को रजिस्ट्रार द्वारा लिखित में उस न्यायालय की जानकारी में लाया जाएगा जिसके समक्ष अभियोजन लंबित है ।

(4) जहाँ किसी अपराध को अभियोजन से पूर्व अथवा पहले धारा 39 के अधीन शमन किया गया हो, वहाँ उसकी सूचना एलएलपी द्वारा रजिस्ट्रार को प्ररूप 22 में अपराध के शमन किए जाने से 7 दिवस के भीतर दी जानी चाहिए।

(5) केन्द्रीय सरकार अधिनियम के किसी ऐसे उपबंध के साथ अनुपालन में व्यक्तिक्रम के लिए अपराध को शमन करने के लिए आवेदन पर कार्रवाई करते समय, जिसमें एलएलपी अथवा उसके भागीदार अथवा भागीदारों अथवा अभिहित भागीदार अथवा अभिहित भागीदारों को रजिस्ट्रार को किसी रिटर्न, लेखे तथा शोधन क्षमता के विवरण अथवा अन्य दस्तावेज को फाइल अथवा शमन किए जाने की आवश्यकता होती है तो वह इस नियम के अधीन शमन किए जाने की अनुमति देने से पूर्व आदेश द्वारा एलएलपी के किसी भागीदार अथवा अभिहित भागीदार को धारा 69 के अधीन अदा किया जाने वाले अपेक्षित शुल्क, तथा अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर एलएलपी के भागीदार अथवा अभिहित भागीदार को ऐसे रिटर्न, लेखे तथा शोधन क्षमता के विवरण और उस आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर किसी अन्य दस्तावेज को फाइल अथवा रजिस्ट्रीकृत करने के लिए कह सकती है ।

प्ररूप 1

(नियम 18(5) देखें)

नाम के आरक्षण अथवा परिवर्तन के लिए आवेदन

नोट – * से अंकित सभी खानों को आज्ञापक रूप से भरा जाना है।

1. *आवेदन .... नई सीमित दायित्व भागीदारी(एलएलपी) के निगमन के लिए

.... विद्यमान सीमित दायित्व भागीदारी के नाम को परिवर्तन के लिए

भाग क . नाम का आरक्षण

2. आवेदक का ब्यौरा

1(क) * क्या आवेदक भागीदार के रूप में एक व्यष्टि है .... अथवा एक भागीदार के रूप में किसी निगमित निकाय का एक नामनिर्देशिती है...

(ख) * अभिहित भागीदार पहचान संख्या(डीपीआईएन) अथवा आय कर स्थायी लेखा संख्या (पैन) अथवा पासपोर्ट संख्या...

2(क) * नाम ....

(ख) *पदनाम ....

(ग) *पता पंक्ति I ....

पंक्ति II ....

(घ) *शहर ....

(ङ) *राज्य ....

(च) *पिन कोड ....

(छ) *आईएसओ देश कोड ....

(ज) *देश ....

(झ) *ई–मेल आईडी ....

(ञ) *फोन ....

(ट) *फैक्स ....

3. दो प्रस्तावित अभिहित भागीदारों का ब्यौरा (उनमें से एक भारत का निवासी होना चाहिए)

(i) *श्रेणी (ड्राप डाउन) व्यष्टि, एलएलपी, कंपनी, भारत के बाहर निगमित एलएलपी(एलआईओआई), भारत के बाहर निगमित कंपनी(सीआईओआई) ....
(ii) *डीपीआईएन/आय कर पैन/पासपोर्ट संख्या; अथवा एलएलपीआईएन अथवा कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन); अथवा एलआईओआई रजिस्ट्रीकरण संख्या; अथवा सीआईओआई रजिस्ट्रीकरण संख्या ....
(iii) *नाम ....
(iv) * नामनिर्देशिती का नाम, निगमित निकाय के मामले में ....
(v) प्रस्ताव प्राधिकरण नामनिर्देशिती के संकल्प के ब्यौरे (संख्या/तारीख)...

(i) *श्रेणी (ड्राप डाउन) व्यक्ति, एलएलपी, कंपनी, भारत के बाहर निगमित एलएलपी(एलआईओआई), भारत के बाहर निगमित कंपनी(सीआईओआई) ....
(ii) *डीपीआईएन/आय कर पैन/पासपोर्ट संख्या; अथवा एलएलपीआईएन अथवा कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन); अथवा एलआईओआई रजिस्ट्रीकरण संख्या; अथवा सीआईओआई रजिस्ट्रीकरण संख्या ....
(iii) *नाम ....
(iv) * नामनिर्देशिती का नाम, यदि निगमित निकाय हैं ....
(v) प्राधिकरण नामनिर्देशिती के संकल्प के ब्यौरे (संख्या/तारीख)...

4. * राज्य का नाम जिसमें प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी को रजिस्ट्रीकृत किया जाना है

....

5. * रजिस्ट्रार के कार्यालय का नाम जहॉ प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी अवस्थित है

....

6. क्या आवेदन फर्म अथवा निजी कंपनी अथवा गैर–सूचीबद्ध निजी कंपनी के एलएलपी में संपरिवर्तन हेतु है

हॉ .... नहीं...............

यदि हॉ, तो निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए

(1) फर्म के संपरिवर्तन के मामले में :

(1) फर्म का नाम ....

(2) क्या फर्म रजिस्ट्रीकृत है हॉ........ नहीं...........

यदि हॉ, तो निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए :

(क) कानून/विधि का नाम जिसके अंतर्गत फर्म रजिस्ट्रीकृत है ....

(ख) राज्य का नाम जिसमें फर्म रजिस्ट्रीकृत है ....

(ग) रजिस्ट्रीकरण का दिन./मास/वर्ष ....

(घ) रजिस्ट्रीकरण संख्या ....

(2) निजी कंपनी अथवा गैर–सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी के परिवर्तन के मामले में

(क) सीआईएन.......................................

(ख) नाम ....

7. * सीमित दायित्व भागीदारी का प्रस्तावित कारबार (यदि व्यवसाय में बैंककारी तथा स्टाक एक्सचेंज शामिल हैं तो समुचित प्राधिकारी के सैद्धान्तिक अनुमोदन की एक प्रति संलग्न किया जाना चाहिए)

....

8. * अभिदाय का प्रस्तावित मौद्रिक मूल्य (रूपए में)

अंकों में ....

शब्दों में ....

भाग ख : नाम में परिवर्तन के मामले में

9. *सीमित दायित्व भागीदारी की एलएलपीआईएन ....

10. (क) *सीमित दायित्व भागीदारी का नाम ....

(ख) *सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

....

*पता पंक्ति I ....

पंक्ति II ....

*शहर ....

जिला ....

*राज्य ....

*पिन कोड ....

*आईएसओ देश कोड ....

*देश ....

*ई–मेल आईडी ....

*फोन ....

*फैक्स ....

11. *नाम में परिवर्तन का कारण

....

....

12. * अभिदाय का वर्तमान मौद्रिक मूल्य (रूपए में)

अंकों में ....

शब्दों में ....

भाग ग : नाम के आरक्षण अथवा एलएलपी के विद्यमान नाम में परिवर्तन से संबंधित ब्यौरे

13. सीमित दायित्व भागीदारी का प्रस्तावित नाम (कृपया अधिमानता क्रम में 6 नाम दें)

(क)* .... सीमित दायित्व भागीदारी / एलएलपी

(ख) ....

(ग) ....

(घ) ....

(ङ) ....

(च) ....

14. प्रस्तावित नाम (मों) में महत्वपूर्ण अथवा मुद्रित शब्द (दों) के महत्व का विवरण दें (संक्षेप में)

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

(घ) ....

(ङ) ....

(च) ....

(यदि प्रस्तावित नाम में कोई कियाकलाप शामिल है तो ऐसे कियाकलाप को एलएलपी के प्रस्तावित कारबार में दर्शाया जाना चाहिए)

15. (क) क्या प्रस्तावित नाम (मों) किसी रजिस्टीकृत ट्रेडमार्क पर आधारित है अथवा व्यापार चिन्ह अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टीकरण हेतु लंबित आवेदन का विषय है

(कृपया सही का निशान लगाएं) हॉं.............. नहीं ....

(ख) यदि हॉं तो व्यापार चिन्ह अथवा आवेदन के ब्यौरे प्रस्तुत करें ....

....

संलग्नक

1. विद्यमान सीमित दायित्व भागीदारी के नाम में परिवर्तन के मामले मे, निर्णय की एक प्रति संलग्न करें

2. व्यापार चिन्ह का उपयोग करने के लिए व्यापार चिन्ह रजिस्टीकरण / ट्रेडमार्क पंजीकरण हेतु आवेदन की प्राप्ति / व्यापार चिन्ह उपयोग करने के लिए प्राधिकार / आवेदन की पावती संलग्न करें

3. यदि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त निर्देश के कारण परिवर्तन है तो निर्देश की एक प्रति संलग्न करें

4. वैकल्पिक संलग्नक -- यदि कोई हो संलग्न करें

संलग्नकों की सूची

....

संलग्नक हटाएं